International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 14 Issue 2, March-April, 2026

जम्मू–कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरसन के उपरांत सतत विकास (सस्टेनेबल डेवल्पमेंट): एक विश्लेषण

डॉ० राकेश कुमार

अस्सिटैंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक (हरियाणा)–124021

सार

5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के पश्चात् जम्मू एवं कश्मीर में एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। इस अनुच्छेद के निहितार्थ इस क्षेत्र को एक विशेष स्वायत्तता प्रदान की गई थी, जो कि भारत के अन्य हिस्सों के साथ इसके पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक एकीकरण में बाधा बन रहा था। इसके निरसन के पश्चात् निवेश, आधारभूत संरचना विकास और सामाजिक–आर्थिक सुधारों के नए अवसर खुले है। प्रस्तुत शोध–पत्र जम्मू–कश्मीर में सतत विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेंट) पर इस निर्णय के प्रभाव का विश्लेषण करता है, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों जैसे बुनियादी ढ़ाँचा, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, कृषि एवं स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल है।

इसके परिणाम स्वरूप अध्ययन से पता चलता है कि कानूनी एवं आर्थिक प्रतिबंधों के समाप्त होने के पश्चात् निजी एवं सरकारी निवेश में वृद्धि हुई है, जिससे रेलवे, सड़क एवं औद्योगिक विकास को गति प्राप्त हुई है। नए–नए व्यवसायों और औद्योगिक परियोजनाओं के चलते स्थानीय रोजगार के अवसरों ने काफी बढ़ोतरी हुई है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण पर्यटन क्षेत्र काफी प्रभावित रहा है। परन्तु अनुच्छेद 370 के निरसन के उपरान्त अब यह पुनर्जीवित हो रहा है एवं सरकार के द्वारा नई– नई नीतियों के माध्यम से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है जैसे श्रीनगर में जी–20 शिखर सम्मेलन का वर्ष 2024 में करवाया जाना तथा पिछले कुछ वर्षों में रिकार्ड तोड़ पर्यटकों का जम्मू–कश्मीर में पहुँचना अनुच्छेद 370 के निरसन के पश्चात् इसके सकारात्मक पक्ष की ओर संकेत कर रहा है तथा उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं की स्थापना ने मानव संसाधन विकास को काफी प्रोत्साहित किया है। जिससे क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास को बल मिल रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र जम्मू एवं कश्मीर के समावेशी एवं सतत विकास के लिए संभावित नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करता है। कुंजी शब्द : जम्मू–कश्मीर, अनुच्छेद 370, सतत विकास, आर्थिक सुधार, निवेश, पर्यटन, औद्योगिकरण, सामाजिक–आर्थिक विकास

परिचय

जम्मू–कश्मीर भारत का एक सांस्कृतिक एवं रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षत्रे है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर एवं भौगोलिक विविधता के लिए जाना जाता है। हालांकि इस क्षेत्र को दशकों से राजनीतिक अस्थिरता एवं सीमित आर्थिक विकास और आतंकवाद जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहा है। 17 अक्टूबर, 1949 को अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इस क्षत्रे को विशेष स्वायत्तता प्रदान की गई थी। जिससे इसका भारत के अन्य राज्यों के साथ पूर्ण एकीकरण बाधित हो रहा था। अनुच्छेद 370 के निहितार्थ प्रावधानों के तहत, जम्मू एवं कश्मीर की अपनी संविधान सभा थी तथा भारत की संसद द्वारा बनाए गए कानून इस राज्य पर स्वतः लागू नहीं होते थे।

भारत की केन्द्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय लिया, जिससे जम्मू–कश्मीर के विशेष दर्जे का अन्त हो गया तथा जम्मू– कश्मीर एवं लद्दाख दो केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रादुर्भाव हुआ, इस निर्णय को ऐतिहासिक एवं विवादास्पद दोनों माना गया, क्योंकि इसके समर्थकों द्वारा इसके पक्ष में तर्क दिया गया कि इससे जम्मू–कश्मीर का विकास और आर्थिक एकीकरण संभ्ज्ञव होगा। जबकि विरोधी विचारधारा वाले समर्थकों का मानना था कि यह राज्य की स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के पश्चात्, सरकार के इस क्षेत्र में विकास एवं निवेश को बढ़ावा दिया गया तथा निवेश को प्रोत्साहित करने तथा आधारभूत संरचना में सुधार करने, पर्यटन को पुनर्जीवित करने तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा कई नीतियों का क्रियान्वयन किया गया, औद्योगिकरण को गति देने के लिए सरकार ने भूमि सुधार एवं व्यवसाय स्थापित करने में सरलता एवं रोजगार सृजित करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए गए हैं।

अनुच्छेद 370 का प्रभाव

अनुच्छेद 370 के प्रादुर्भाव के समय से ही इसने जम्मू एवं कश्मीर के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र को काफी प्रभावित किया है तथा 1990 क दशक में तो जम्मू एवं कश्मीर में काफी अशान्ति का माहौल पैदा हो गया जिससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हुई।

अनुच्छेद 370 के उदय के कारण

- अनुच्छेद 370 के लागू होने के परिणाम स्वरूप बाहरी व्यक्ति कंपनियाँ एवं निवेशक यहाँ स्थापित नहीं कर सकते थे।
- अनुच्छेद 370 के कारण यहाँ केन्द्र सरकार की योजनाएँ और कानून पूर्ण रूप जम्मू एवं कश्मीर में लागू नहीं किए जा सकते थे।
- भूमि स्वामित्व पर प्रतिबंध था, जिससे जम्मू एवं कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है।
- अनुच्छेद 370 के उदय के कारण यहाँ अलगाववाद एवं आतंकवाद का दौर

प्रारंभ हुआ जिसने बिजनेस इनवायरनमेंट को काफी प्रभावित किया है। केन्द्र सरकार के द्वारा 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया तथा जम्मू–कश्मीर पूर्ण गठन अधिनियम 2019 को लागू किया जिससे जम्मू– कश्मीर एवं लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश घोषित किया गया जिससे इसके कानूनी
एवं आर्थिक स्वरूप में व्यापक परिवर्तन देखा जा सकता है।

2. अनुच्छेद 370 के निरसन के उपरांत जम्मू–कश्मीर में सतत विकास (**Sustainable Development**)

अनुच्छेद 370 की समाप्ति के उपरांत जम्मू–कश्मीर में जम्मू–कश्मीर पूर्ण गठन अधिनियम 2019 को लागू किया गया जिसके पश्चात् वहाँ के व्यवसायिक वातावरण में काफी सकारात्मक बदलाव देखें जा सकते है। 2.1 आर्थिक सुधार एवं निवेश वृद्धि

अनुच्छेद 370 की समाप्ति के पश्चात् केन्द्र सरकार के द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में औद्योगिकरण और व्यापार अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई है।

- औद्योगिक नीति 2021–30 : जम्मू और कश्मीर औद्योगिक नीति 2021–30 भारत में औद्योगिक निवेश के लिए एक उभरता हुआ क्षेत्र है। इसके अन्तर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य को पिछले चार दशकों के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों एवं पैकेजों को मंजूरी इसके निहितार्थ दी गई है। सरकार के द्वारा 28400 करोड़ रूपये की निवेश की योजना इसके अंतर्गत दी गई है, जिससे जम्मू एवं कश्मीर में औद्योगिक विकास को नए आयाम दिए जा सके। (अनूप जोशी)

- विदेशी निवेश : जम्मू एवं कश्मीर में 5 साल पहले अनुच्छेद 370 हटने के बाद से राज्य को 1.19 लाख करोड़ रूपये के 6851 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है। जिसके द्वारा 4.61 लाख नौकरियाँ पैदा होने की उम्मीद है। जो कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के पश्चात् ही सम्भव हो पाया है। (एन० वलारमथी)

- स्मार्ट सिटी परियोजना : 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में
स्मार्ट सिटीज मिशन की शुरूआत की गई जिसका लक्ष्य पूरे देश में 100 स्मार्ट शहर विकसित करना था यह मिशन समावेशी और टिकाऊ शहरों के निर्माण पर केंद्रित है। श्रीनगर और जम्मू स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एक महत्त्वपूर्ण पहल है। जम्मू जो इस क्षेत्र का प्रमुख आर्थिक केन्द्र है, को व्यापारिक शहर विकास के लिए चुना गया है। (तरन्नुम मुजफ्फर लोन)

- कृषि एवं बागवानी क्षेत्र : 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 की समाप्ति के उपरांत कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में सरकार की तरफ से मुख्य रूप से ध्यान दिया जा रहा है। किसानों की आजीविका में आने वाली बाँधाओं को दूर किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सरलता से करवाना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है तथा बागवानी क्षेत्र से सम्बन्धित सूचनाओं को सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा किसानों के लिए किसान कल्याण योजनाएं जैसे किसान सम्मान निधि, किसान फसल बीमा योजना, पीएमकेएसवाई, स्वामित्व योजना आदि के किसानों की आय दोगुना की है। (ए०एन०आई० रिपोर्ट)

आधारभूत संरचना का विकास

अनुच्छेद 370 की समाप्ति के पश्चात् जम्मू एवं कश्मीर में व्यापारिक गतिविधियों के विकास के लिए आधारभूत ढ़ाँचे का विकास किया जा रहा है।

सड़क एवं रेल नेटवर्क : जम्मू एवं श्रीनगर हाईवे को चौड़ा किया गया है। बनिहाल–काजीगुंड़ रेल सुरंग जैसी परियोजनाओं को पूरा किया गया है। जिससे जम्मू एवं कश्मीर में व्यापारिक माहौल पैदा किया जा सके।

विद्युत आपूर्ति : केन्द्र सरकार ने जलविद्युत आपूर्ति परियोजनाओं के माध्यम से बिजली आपूर्ति में सुधार किया है। ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री जाविद अहमद डार के द्वारा बारामूला के चकलू में 2 × 6.3 एमवीए रिसीविंग

स्टेशन का उद्घाटन किया गया तथा बिजली के बुनियादी ढ़ाँचे एवं सुविधाओं की समीक्षा की गई जो कि विकास का मार्ग अनुच्छेद 370 के बाद ही सम्भव हुआ है। (दैनिक एक्सेलसियर)

पर्यटन एवं रोजगार के अवसर

- 5 अगस्त 2019 के उपरांत पर्यटकों की संख्या में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है।
- फिल्म नीति 2021 का आरम्भ : बालीवुड एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा इसके अन्तर्गत दिया गया है। जिससे सभी जम्मू कश्मीर की सुन्दरता से वाकिफ हो सकें।
- पहलगाम, गुलमर्ग एवं सोनमर्ग को विश्व पटल पर पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार

- जम्मू–कश्मीर में प्डए प्ज एवं ।प्डै की स्थापना की गई है।
- आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 24 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा रही है।
- डिजिटलीकरण के द्वारा स्कूलों तथा कॉलेजों की गुणवत्ता में सुधार किया गया है।

पर्यावरणीय संरक्षण एवं सतत विकास

- जम्मू एवं कश्मीर हरित मिशन के तहत वनों की कटाई को रोकने के लिए वृक्षारोपण अभियानों की शुरूआत की गई है।
- पर्यावरण संरक्षण को उपराज्य पाल मनोज सिंहा ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता के अन्तर्गत रखा है जिसके अन्तर्गत 1.75 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।
- पर्यटन एवं औद्योगिकरण को पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहित एवं विकसित किया जाएगा। (नैना गौतम)

चुनौतियाँ एवं समाधान

सुरक्षा एवं राजनीतिक स्थिरता

अनुच्छेद 370 के उपरांत आतंकवादी घटनाओं में कमी हुई है, परन्तु फिर भी वहाँ राजनीतिक स्थिरता एवं सुरक्षा बड़ी चुनौती बनी हुई है।

समाधान : सरकार को निरन्तर शांति वार्ता एवं विकास परियोजनाओं में वहाँ के स्थानीय युवाओं को शामिल करना चाहिए। 3.2 बाहरी निवेश की सीमाएँ निवेशकों को अपनी सुरक्षा के कारण वहाँ अभी भी निवेश सीमित है।

समाधान : निवेशकों को सुरक्षा गारंटी एवं कर लाभ प्रदान कर निवेशकों को आकर्षित करना चाहिए। 3.3 स्थानीय आबादी की भागीदारी सुनिश्चित करना

इसके अन्तर्गत बाहरी कंपनियों के निवेश से स्थानीय रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

समाधान : स्थानीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष

इस प्रकार प्रस्तुत शोध पत्र जम्मू–कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरसन के उपरांत सतत विकास को लेकर गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। प्रारंभ में अनुच्छेद 370 के प्रादुर्भाव के समय जम्मू एवं कश्मीर में विकास का मार्ग बाधित दिखाई दते ा है, परन्तु अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के उपरान्त सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में विकास परख योजनाओं के द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में चहुँमुखी विकास किया जा रहा है। अब केन्द्र सरकार के सभी कानून जम्मू एवं कश्मीर में लागू होंगे। जिससे जम्मू एवं कश्मीर में सतत विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। विकास की दिशा में किए गए इन प्रयासों के बावजूद, सुरक्षा एवं सामाजिक स्थिरता को मजबूत करना आवश्यक है तथा स्थानीय भागीदारी और सतत नीतियों के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर को भारत के सबसे विकसित एवं समद्धशाली राज्य में बदला जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार, जम्मू एवं कश्मीर डवलपमेंट रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नई दिल्ली, 2020
2. नीति आयोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन जम्मू एण्ड कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370 ऐब्रगैशन, नई दिल्ली, 2021
3. अनूप जोशी, जम्मू और कश्मीर औद्योगिक ... नीति 2021–30 : भारत में औद्योगिक निवेश के लिए उभरा क्षेत्र, लिंक्डन, 20 अप्रैल, 2023
4. एन० वलारमथी, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 1.19 लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव मिले, द प्रिंस, 5 अगस्त 2024
5. तरन्नुम मुजफ्फर लोन, स्मार्ट शहर किस प्रकार शहरी परिदृश्य को बदल रहे –

6. श्रीनगर और जम्मू का एक केस अध्ययन, जे०के० पोलिसी इंस्टीट्यूट, 29 फरवरी 2024
7. ए०एन०आई० रिपोर्ट, अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण के चार साल बाद, जम्मू–
ण कश्मीर में कृषि विकास में तेजी, आर्गेनाइज़र, 5 अगस्त 2023
8. दैनिक एक्सेलसियर, सरकार जम्मू–कश्मीर के बुनियादी ढ़ाँचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध, 25 नवंबर, 2024
9. नैना गौतम, जम्मू और कश्मीर प्रशासन सतत विकास पर ध्यान केन्द्रित करेगा, आऊटलुक बिजनेस, 21 अगस्त, 2023